NATIONAL CAMPAIGN COMMITTEE
For Central Legislation on Construction Labour

Justice V.R. Krishna Iyer
Founder Chairperson

R. Venkataramani
Sr. Advocate- Supreme Court
Convener

Geetha R.
South Regional Coordinator
Ph: 91-11-27013523, 27022243

S. Bhatnagar
Coordinator
Correspondence Address:
B-19, Subhavna Niketan
Pitampura, Delhi-110034

Email: ncccl2010@gmail.com **www. nirmana.org** ***Mobile: 9810810365***

22-08-2019

प्रिय मित्रो,

यह सर्कुलर निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति के 15 अगस्त 2019 के अंग्रेजी के सर्कुलर के सन्दर्भ में आपको यह जानकारी देने के लिये जारी कर रहे हैं कि लम्बे इन्तज़ार के बाद इस सप्ताह भारत सरकार के श्रम व रोजगार मंत्रालय ने अंग्रेजी में **''निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड/कानून के सामाजिक कल्याण के दिशा–निर्देश या रूपरेखा'' (Framework for the Implementation of Social Audit of BOCW Acts)** अपनी वेबसाइट पर जारी किया है। **https://labour.gov.in/sites/default/files/Framework%20for%20implementation%20of%20Social%20Audit%20of%20BOCW%20Acts.pdf**

19 मार्च 2018 को निर्माण मजदूरों की राष्ट्रीय अभियान समिति की याचिका पर दिये गये सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में चार विशेष निर्देश दिये गये थे जिनके सम्बन्ध में 30 अक्तूबर 2018 को केन्द्र श्रम सचिव ने उपरोक्त जजमेन्ट को लागू करे के लिये गठित कमेटी द्वारा बनाई गई कार्ययोजना और आदर्श कल्याण योजना (Action Plan and Model Welfare Scheme) संलग्नित करते हुए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को 30 अक्तूबर 2018 को पत्र लिखकर सुनिश्चित करने के लिये लिखा कि सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय पूरी तरह लागू किया जाये।

4 जून 2019 को निर्माण मजदूरों के 1996 के कानून को लागू करने पर गठित मोनिटरिंग कमेटी की दसवीं बैठक में, जिसमें सभी राज्यों के श्रम सचिव शामिल हैं, भी उपरोक्त जजमेन्ट, कार्ययोजना और आदर्श कल्याण योजना को लागू करने पर जोर दिया गया था।

जल्दी ही हम सभी राज्यों में महात्मा गांधी रूरल एम्पलोयमेन्ट गारंटी एक्ट, 2005 का सामाजिक अंकेक्षण करने के लिए गठित संगठनों की जानकारी आपको देंगे। आपसे आपेक्षा है कि आप इन संगठनों के अनुभव के आधार पर अपने राज्य के निर्माण मजदूर कल्याण बोर्ड से सामाजिक अंकेक्षण करवाने की योजना सुनिश्चित करें। इस सामाजिक अंकेक्षण का लक्ष्य ''निर्माण मजदूरों के 1996 के कानून को बचाओ'' अभियान को सशक्त करना होना चाहिये।

जैसे ही हमें सामाजिक अंकेक्षण करवाने के लिये राज्य सरकारों के नाम केन्द्र सरकार के पत्र की प्रति मिलेगी वह हम आप सबको भेजेंगे।

स्पष्टीकरण के लिये आप NCC-CL के पत्र पर लिखे ईमेल व फोन पर सम्पर्क कर सकते हैं।

आपका

सुभाष भटनागर